पश्चिमी मुद्रण वर्ग भारतीय सर्वेक्षण विभाग निकट पालम रेलवे फाटक दिल्ली कैन्ट, 110010

नेमी आदेश संख्या प0म्0व0 / 🥎 / 37-जी-9 दिनाँक 🎖 मार्च 2019

(1) तृतीय एम.ए.सी.पी. स्कीम:--

विज्ञान और प्रौद्यौगिकी विभाग के पत्र संख्या ए—11019/1/2008—सी.डी.एन. दिनांक 08.06.2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 35034/3/2008—स्था. (डी), दिनांक 19.05.2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणनुसार एम.ए.सी.पी. स्कीम के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन लाभ प्रदान किया जाता है:—

In accordance with Ministry of Personnel, Public Grievances nd Pensions (Department of Personnel and Training) O.M. No. 35034/3/2008 Estt.(D) dated 19.05.2009, received under DST's letter No. 11019/1/2008-CDN, dated 8.6.2009, the undermentioned Group 'B' Non-Gazetted Officer of this Directorate is granted **Third** Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme for the Central Govt. Civilian Employee(s) as mentioned against his name:-

क.सं sı. No.	नाम व पदनाम / Name & Designation	एम.ए.सी.पी. मिलने के तिथि Date from which benefit of 3 rd MACP applicable	वेतन जिसमें अगला वित्तीय उन्नयन दिया जाना है PayMatrix for which benefit is applicable	प्राधिकार Authority
1.	श्री इन्द्रजीत कुमार सहायक Shri Inderjit Kumar Assistant	20.02.2019	वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7 में Pay Matrix in level 7	महासर्वेक्षक का पत्र सं. सी—974 / 1902—एम.ए.सी.पी. दिनांक 15.02.2019 SG's letter No. C-974/1902 MACP (Min.), dt. 15.02.19

टिप्पणियां :-

1. अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के लिये स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामें डाला जाएगा ।

The extra expenditure involved will be met from witin the sanctioned budget grant of this office and debited to appropriate head of account.

2. एम.ए.सी.पी. योजनां के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नए वेतनमान में वेतन निधार्रित करने के लिए एफ.आर.22(।)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा । The individual is required to exercise an option under Rule FR 22(I)(a)(1) for fixtion of pay for grant of Third Financial Upgradation under MACP scheme.

(2) सरकारी सेवा में प्रतिधारण :--

भारत के महासर्वेक्षक कार्यालय में गठित विशेष पुनरीक्षण समिति ने इस निदेशालय के निम्नलिखित सरकारी अधिकारी का उनके 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की अहंक सेवा पूरी करने पर जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है, सरकारी सेवा मं रहना स्वीकार कर लिया है ।

1. श्री तरसेम सिंह, अधिकारी सर्वेक्षक – 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर

Retention in Govt. Service:-

The following Govt. Officer of this office are hereby aswed to be retained in Govt. service on attaining 50 years of age or on completion of 30 years of service on the recommendation of Special Review Committee conducted in Surveyor General Office.

1. Shri Tarsem Singh, Officer Surveyor - On attaining of 50 years of age.

प्राधिकार / Authority: SG's No. सी-1309 / 854-भार(गजटेड)दि.25.02.19

